न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.) बेंच भोपाल

R. 2461-PBR/14

निगरानी क्रमांक ....

श्रीमती सितारादेवी पुत्री स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद
निवासी 23, पंचशील नगर, भोपाल
(राधेश्याम आयु व्यस्क, पुत्र श्री परसराम
निवासी ग्राम–मूंडला, भदभदा रोड़,
तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल) .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–4
तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल .... उत्तरार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

निगरानी राजस्व प्रकरण क्रमांक 29/अ–12/13–14 आदेश दिनांक 23/04/14 श्रीमान राजस्व निरीक्षक वृत्त–4, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल पक्षकार श्रीमती सितारा देवी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन से दुखित एवं विक्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी याचिका उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत करती है :–

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल

(43) m

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2461–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 29/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 23–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है और इसी आदेश को निरस्त कराने का अनुरोध निगरानी मेमों में किया गया है, जबकि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष जो सीमाकंन कराये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 23–4–2014 दर्शाया गया है। आवेदक की ओर से आदेश की जो सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उसमें आदेश कं दिनांक का या तो उल्लेख नहीं है या जो टिकिट चिपकाये गये है उनमे आदेश दिनांक दब गया है । अतः यह स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता है कि तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23–4–2014 को आदेश पारित किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः यह निगरानी विधिवत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	